

कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, ऋषभदेव

दिनांक :-

क्रमांक :-

खुली नीलामी से सम्पदा किराये पर देने की सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियंत्रित राजकीय आत्म निर्माण मन्दिर श्री ऋषभदेवजी की रिक्त संपदा की खुली नीलामी बोली दिनांक 27 / 10 / 2021 को समय प्रातः 11:00 बजे से इस कार्यालय में प्रारम्भ की जावेगी। नीलामी एवं सम्पदा किराये सम्बन्धित अन्य शर्तें किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय में आकर देखी जा सकती हैं।

क्र. सं.	सम्पदा का विवरण	बोली प्रपत्र शुल्क	वयाना राशि	संपदा का प्रकार	सरकारी बोली वार्षिक
1	नवीन बस स्टेण्ड, ऋषभदेव दुकान नंबर 8	200/-	140/-	व्यवसायिक	6,900/-
2	नवीन बस स्टेण्ड, ऋषभदेव गोदाम नंबर 2	200/-	2400/-	व्यवसायिक	1,20,000/-
3	पुराना बस स्टेण्ड, ऋषभदेव ऋषभ भवन	200/-	2040/-	व्यवसायिक	1,02,000/-
4	धारणेराव धर्मशाला कमरा 1	200/-	400/-	व्यवसायिक	19,200/-
5	जूनी सराय में आवासीय कमरा 1	200/-	1200/-	आवासीय	57,600/-
6	मुख्य धर्मशाला में भोजनशाला के कमरे 2	200/-	1200/-	व्यवसायिक	57,600/-

1. बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व निर्धारित धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, ऋषभदेव के नाम से देय होगी।
2. निर्धारित प्रपत्र को इस कार्यालय से कार्य दिवस में शुल्क नकद जमा करा प्राप्त की जा सकती है एवं एसपीपीपी पोर्टल से डाउनलोड कर डोडी सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, ऋषभदेव के नाम से देय होगी।
3. जिस बोलीदाता के नाम अन्तिम बोली होंगी उसे मौके पर 50 प्रतिशत वार्षिक किराया का अग्रिम किराया जमा कराना होगा।
4. नीलामी बोली स्वीकार करने, अस्वीकार करने, बिना कारण बताये नीलामी स्थगित करने एवं अन्य सभी अधिकार कमेटी में निहित होंगे, तथा कमेटी का निर्णय मान्य होगा।
5. सम्पदा किराये पर राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात् ही दी जावेगी, एवं किरायेदार को किरायानामा विभाग के पक्ष में निर्धारित प्रपत्र में संधारित करना होगा।
6. राजस्थाल लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 व समय-समय पर जारी संशोधनों, अधिसूचनाओं की पालना करनी होगी।

(सुनील मत्तड)  
सहायक आयुक्त  
देवस्थान विभाग, ऋषभदेव

क्रमांक :- २१९२-२२०३

दिनांक :- ०६-१०-२०२१

प्रतिलिपि :- निम्नार्थ को सूचनार्थ एवं प्रचारार्थ प्रेषित है -

- 1- श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, उदयपुर को भेजकर निवेदन है कि निलामी कार्यक्रम में भाग लेने हेतु आपके प्रतिनिधि को मनोनित करा नियत दिनांक को ऋषभदेव भिजाने की कृपा करावे।
- 2- श्रीमान् आयुक्त महोदय, देवस्थान विभाग, राजस्थान-उदयपुर को भेजकर निवेदन है कि निलामी बोली कमेटी में भाग लेने हेतु प्रधान कार्यालय से प्रतिनिधि को नियत दिनांक को ऋषभदेव भिजाने की कृपा करावे।
- 3- ✓ श्रीमान् आयुक्त महोदय देवस्थान विभाग, राजस्थान-उदयपुर को भेजकर निवेदन है कि विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन करावे।
- 4- तहसीलदार, तहसील कार्यालय, ऋषभदेव, जिला- उदयपुर।
- 5- निरीक्षक, देवस्थान विभाग, ऋषभदेव।
- 6- वृत्त निरीक्षक, पुलिस थाना, ऋषभदेव को भेजकर लेख है कि नियत दिनांक को सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस जाप्ता भिजावें।
- 7- सुरक्षा अधिकारी, मंदिर श्री ऋषभदेवजी को भेजकर लेख है कि नियत दिनांक को मंदिर फोर्स के जवान सुरक्षा व्यवस्था हेतु लगावें।
- 8- केशियर कार्यालय हाजा को दी जाकर लेख है कि निर्धारित बोली प्रपत्र विक्रय कर निविदाता को रसीद देवे।
- 9- कम्प्यूटर ऑफरेटर को दी जाकर लेख है कि एस.पी.पी.पी. पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
- 10- नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/तहसील कार्यालय।
- 11- सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा हेतु।


(सुनील मत्तड़)

सहायक आयुक्त

देवस्थान विभाग, ऋषभदेव

संस्कार  
स्त्री भूषण

18.10.2021



दिनांक :- २१९२-२२०३

दिनांक :- ०६-१०-२०२१

प्रतिलिपि :- निम्नार्थ को सूचनार्थ एवं प्रचारार्थ प्रेषित है -

- 1- श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, उदयपुर को भेजकर निवेदन है कि निलामी कार्यक्रम में भाग लेने हेतु आपके प्रतिनिधि को मनोनित करा नियत दिनांक को ऋषभदेव भिजाने की कृपा करावें।
- 2- श्रीमान् आयुक्त महोदय, देवस्थान विभाग, राजस्थान-उदयपुर को भेजकर निवेदन है कि निलामी बोली कमेटी में भाग लेने हेतु प्रधान कार्यालय से प्रतिनिधि को नियत दिनांक को ऋषभदेव भिजाने की कृपा करावें।
- 3- ✓ श्रीमान् आयुक्त महोदय देवस्थान विभाग, राजस्थान-उदयपुर को भेजकर निवेदन हैं कि विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन करावें।
- 4- तहसीलदार, तहसील कार्यालय, ऋषभदेव, जिला- उदयपुर।
- 5- निरीक्षक, देवस्थान विभाग, ऋषभदेव।
- 6- वृत्त निरीक्षक, पुलिस थाना, ऋषभदेव को भेजकर लेख है कि नियत दिनांक को सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस जाप्ता भिजावें।
- 7- सुरक्षा अधिकारी, मंदिर श्री ऋषभदेवजी को भेजकर लेख है कि नियत दिनांक को मंदिर फोर्स के जवान सुरक्षा व्यवस्था हेतु लगावें।
- 8- केशियर कार्यालय हाजा को दी जाकर लेख हैं कि निर्धारित बोली प्रपत्र विक्रय कर निविदाता को रसीद देवें।
- 9- कम्प्यूटर ऑफरेटर को दी जाकर लेख हैं कि एस.पी.पी.पी. पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
- 10- नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/तहसील कार्यालय।
- 11- सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा हेतु।

(सुनील मत्तड़)

सहायक आयुक्त  
देवस्थान विभाग, ऋषभदेव

संसद

स्त्री भूषण

५८८१

18.10.2021

